

गौरव शेरकार को श्रीम एन जयलक्ष्मी सरकार द्वारा जीवा आवास रक्षण सचिव पद-38025 / 04 / 2010-एस.एन.- दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के आधार पर कौन अधिकार को कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम 1950 के नियम 60 में सम्मिलित किया है जो कि दिनांक 01.08.2010 से प्रभावी है। संशोधन की मध्याह्न इस प्रकार है:

जिनमें 50 में सहायक के साथ व्यक्ति योग्य मजदूरी की सीमा ₹ 10,00,00.00 से बढ़ाकर ₹ 15,00,00.00 प्रति माह कर दी गई है। इस प्रकार ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी मजदूरी (और वटाइन को छोड़कर) प्रतिमाह 10,00,00.00 से अधिक होता 15,00,00.00 से अधिक नहीं है, वे दिनांक 01.05.2019 से कर्मचारी योग्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्ति योग्य होंगे अर्थात् 15,00,00.00 अधिकतम वेतन (मजदूरी) वाले सभी कर्मचारी संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्ति होंगे।

अतः नियोजकों से अनुरोध है कि रु० 15,000.00 तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को व्यापक संख्या में गिन्यालिखित करने सहित:

1. दिनांक 01.06.2010 से लगे 10,000.00 से अधिक विद्युत कां-15,000.00 तक बैठन पाने वाले सभी कर्मचारियों के घोषणपत्र (काम-1) संबंधित शाखा कार्यालय में पुराना (अधिकतम 10 दिनों के अन्दर) जमा करें।
2. ऐसे सभी कर्मचारियों को कि योजना में पहले व्यक्ति में थे, विद्युत खाता सीमा से दस्तावेज देने के कारण अप्रत्याश/बाधर हो गये थे, यदि उनको सीमा संख्या उपलब्ध हो तो उनके विनांक एवं पुराने पहचान पत्र को संबंधित शाखा कार्यालय को प्रेषित करें ताकि शाखा कार्यालय प्रबन्धक द्वारा पुराना पत्र (काम-4) को दूसरा प्रदान की जा सके। श्रमदा विनियम व्यवस्थाओं को सक्षम सहायता करने में हमें सहयोग दें।

किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आप सम्बन्धित शाखा कार्यालय प्रमुख, उप क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा / बाराणसी अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर से किसी भी कार्यालय हिंदल से सम्पर्क कर सकते हैं।

(पी०के० श्रीवास्तव)

अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक



उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दिभूति खण्ड, पिकप मसन, गौमती नगर, लखनऊ

पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के ग्राम-कुन्दरकी में मै. बन्धन हिन्दुस्तान लिमिटेड द्वारा 90 मेगावाट क्षमता के फोस्फे पर आधारित बालू श्वर प्लांट की स्थापना हेतु उद्योग के प्रस्तावित स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा भारत सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक- 14.09.06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण जारी करने से पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपाधि/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.09.06 यथा संशोधित के अनुसार होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से संबंधित संशोधित अधिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. जिलाधिकारी, कार्यालय, गोंयडा।
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गोंयडा।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार
पंचम ताल, केन्द्रीय भवन, संस्कार - एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. अमर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गोंयडा।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 8/2/46 रिकार्डिंग,
फैताबाद।

6. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप पब्लन, गोमती नगर, लखनऊ।
 भा. समस्त सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभावों की संबंधी प्रकाशन के विस्तारण के लिए कलेक्ट्रेट सेंटिंग हाल, गोरखा में दिनांक 29.05.2010 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से विज्ञापिकाओं, शोधकों की अध्यक्षता में लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है, जिसमें जनता उपस्थित होकर अपनी आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत कर सकती है, अथवा अपने सुझाव, विचार टोका-टिप्पणी एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर उपरोक्त कार्यलयों में प्रेषित की जा सकती है।

सदस्य सचिव

आर-जी-४४२१

खली निविदा सूचना संख्या ०३०२०१० दिनांक २०.०४.२०१०

[illegible][illegible][illegible]

3. कार्य का नाम : मन्सल इन्जीनियरिंग लवणका की अतिरिक्त जलरसाद - विभागाद - अन्नमक
 धानक विलिप्त ०७ २७३ ५० ७२३ ५० विलिप्त ०७ ३६९ ५० ७२३ ५० विलिप्त ०७ ३६९ ५० ७२३ ५०
 सीमेंट की व्यापक पर स्थित ईलाक लवणका की अतिरिक्त जलरसाद - विभागाद - अन्नमक
 जलाना : २० २० २५ ९९३ / - बरोबर लवणका : २० २० २५ ९९३ / - शिवादा काम की लागत : २०
 २ ००० / - बाप द्वारा लागत पर २० २ ५०० / - कार्य की समाप्ति अवधि : १० महीने तक
 पत्र जारी करने की अवधि : १ महीने तक शिवादा लवणका : २० २० २५ ९९३ / - शिवादा काम की लागत : २०
 २ ००० / - बाप द्वारा लागत पर २० २ ५०० / - कार्य की समाप्ति अवधि : १० महीने तक

१०. नाम :- मण्डल इलेक्ट्रिकल-पब्लिक लिमिटेड की संस्थापक समिति-कागुवर एवं कोरमल्ल
-परिचालक समिति में विभिन्न विभिन्न प्रतिनिधित्व (कुल 28 सं.) एवं संयुक्त की संरचना का कार्य एवं
पुनः संरचना की परामर्श का कार्य, संयुक्त-कागुवर एवं कोरमल्ल में अंतर्गत, हरीश, अशोक, एवं भाग्यदत्त
संस्थापक एवं अंतर्गत में कार्य एवं पुनः संरचना में अंतर्गत की कार्य किया गया। अनुमानित लागत :- रु.
/2,10,000/- प्रचोदक शक्ति :- रु. 2,10,000/- मिडिया कार्य की लागत :- रु. 5,000/-
आकृति प्रकाशन एवं रु. 5,000/- कार्य की लागत अनुमानित है। ११. मात्र एक संस्थापक एवं अंतर्गत
कार्य की संरचना में उपरोक्त विभिन्न संस्थापक एवं अंतर्गत कार्य की विभिन्न कार्य की संरचना
कार्य की संरचना में लागत अनुमानित है। विभिन्न संस्थापक एवं अंतर्गत कार्य की संरचना एवं अंतर्गत
संयुक्त है। www.orindiancellgoss.in मोट (अ) प्रचोदक शक्ति मिडिया निम्नलिखित कार्य
की लागत एवं कार्य की लागत है। १२. यथा माग्य एवं अशोक, विभिन्न संयुक्त, एंटेन बैंक कार्य
विभिन्न कार्य एवं अंतर्गत कार्य एवं अंतर्गत कार्य एवं अंतर्गत कार्य एवं अंतर्गत कार्य एवं अंतर्गत कार्य
के कारणों की लागत अनुमानित है। १३. यथा माग्य एवं अशोक, विभिन्न संयुक्त, एंटेन बैंक कार्य
विभिन्न कार्य एवं अंतर्गत कार्य एवं अंतर्गत कार्य एवं अंतर्गत कार्य एवं अंतर्गत कार्य एवं अंतर्गत कार्य

[illegible][illegible]

(200/70)

Hindustan Times

27.04.10



उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

विभूति लाउड, विकास भवन, औद्योगिक,
लखनऊ

पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के जल संसाधनों के दाम-कुन्दरकी से मै. बल्लभ हिन्दुस्थान लिमिटेड द्वारा 90 मेगावाट क्षमता के कोयले पर आधारित वर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु उद्योग के प्रस्तावित स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई करण जाने के संबंध में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण जारी करने से पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है, एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को शिष्टी भी अवगत/सूचित हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाने आवश्यक है। लोक सुनवाई प्रस्ताव को संरक्षित पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.09.06 तथा संशोधन के अनुसार होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से संबंधित संश्लेष अभिलेख विनिर्दिष्ट कार्यवाही में उपलब्ध है :-

- 1- क्लर्क/अधिकारी, कार्यालय, गोरहा।
- 2- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, गोरहा।
- 3- क्षेत्रीय कार्यालय, पथ क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार संयम कक्ष, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, इन्फार्म, लखनऊ।
- 4- अवर मुख्य अधिकारी, जिला वनपाल, गोरहा।
- 5- क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 8/2/46 विकासभवन, कैलाशपुर।
- 6- उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास भवन, संयम कक्ष, लखनऊ।

आज्ञा समस्त पर्यावरण को सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी प्रकरण के निपटारे के लिए जलसेट्ट मोरिंग हास, गोरहा में दिनांक 29.05.2010 को सुबह 10.00 बजे से जिलाधिकारी, गोरहा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है। जिसमें जनता उपस्थित होकर अपनी आपत्तियाँ/सूचित कर सकते हैं, अपना अपने सुझाव, विचार/संका-विचार एवं अपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन दिनांक 30 दिन के अन्दर उपरोक्त कार्यवाही में प्रेषित की जा सकती है।

लखनऊ संविद